क्रम-संख्या–1(घ)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी० / 91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 8 जनवरी, 2025

पौष 18, 1946 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग–2

संख्या 1665 / ग्यारह-2–24-9(47)-17-टी0सी0-272-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(335)-2024
लखनऊ, 8 जनवरी, 2025

अधिसूचना

प0आ0–5

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है की धारा 148 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, जिसका पालन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग (जिसे आगे उक्त व्यक्ति कहा गया है) द्वारा किया जाना है, जिनके विरुद्ध उक्त अधिनियम की धारा 73 या धारा 74 या धारा 107 या धारा 108 के अधीन कोई आदेश जारी किया गया है, जिसमें उक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (4) के उपबंधों के उल्लंघन के कारण इनपुट कर प्रत्यय का गलत लाभ उठाने की मांग की पुष्टि की गई है, किंतु जहां ऐसा इनपुट कर प्रत्यय अब उक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (5) या उपधारा (6) के उपबंधों के अनुसार उपलब्ध है, और जहां उक्त आदेश के विरुद्ध अपील फाईल नहीं की गई है, आदेश के सुधार के लिए निम्नलिखित विशेष प्रक्रिया को अधिसूचित करते हैं अर्थातः–

2–उक्त व्यक्ति, उक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (4) के उपबंधों के उल्लंघन के कारण इनपुट कर प्रत्यय के गलत लाभ की मांग की पुष्टि करते हुए 08 अक्टूबर, 2024 की तारीख से छह माह की अवधि के भीतर, इलेक्ट्रॉनिक रूप से सामान्य पोर्टल पर, यथास्थिति, उक्त अधिनियम की धारा 73 या धारा 74 या धारा 107 या धारा 108 के अधीन आदेश के सुधार के लिए आवेदन फाईल करेगा, लेकिन जहां ऐसा इनपुट कर प्रत्यय उक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (5) या उपधारा (6) के उपबंधों के अनुसार अब उपलब्ध है, और जहां उक्त आदेश के विरुद्ध अपील दायर नहीं की गई है।

3–उक्त व्यक्ति, उक्त आवेदन के साथ, इस अधिसूचना के **उपाबंध क** में दिए गए प्रारूप में जानकारी अपलोड करेगा।

4–उक्त आदेश के सुधार को लागू करने के लिए उचित अधिकारी वह प्राधिकारी होगा जिसने ऐसा आदेश जारी किया था, और उक्त प्राधिकारी उक्त आवेदन पर विनिश्चय करेगा और उक्त आवेदन की तारीख से, जहां तक संभव हो, तीन महीने की अवधि के भीतर सुधारा हुआ आदेश जारी करेगा।

5–जहां पैरा 1 में निर्दिष्ट आदेश में कोई सुधार किया जाना अपेक्षित है, उक्त प्राधिकारी ने उसका सुधारित आदेश जारी कर दिया है, तो उक्त प्राधिकारी सुधारित आदेश का सारांश इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपलोड करेगा,–

(i) प्ररूप जीएसटी डीआरसी–08 में, ऐसे मामलों में जहां उक्त अधिनियम की धारा 73 या धारा 74 के अधीन जारी आदेश में सुधार किया गया है; और

(ii) प्ररूप जीएसटी एपीएल–04 में, ऐसे मामलों में जहां उक्त अधिनियम की धारा 107 या धारा 108 के अधीन जारी आदेश में सुधार किया गया है।

6–सुधार केवल ऐसे इनपुट कर प्रत्यय की मांग के संबंध में किया जाना अपेक्षित है, जो की कथित तौर पर उक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (4) के उपबंधों का उल्लंघन कर गलत रीति से प्राप्त किया गया है, किन्तु जहां ऐसा इनपुट कर प्रत्यय अब उक्त धारा 16 की उपधारा (5) अथवा उपधारा (6) के उपबंधों के अनुसार उपलब्ध है।

7–जहां ऐसे सुधार से उक्त व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, वहां ऐसा सुधार करने वाले प्राधिकारी द्वारा नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया जाएगा।

उपाबंध क

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 148 के अधीन अधिसूचित आदेश के सुधार के लिए विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अधीन आदेश के सुधार के लिए आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा अपलोड किया जाने वाला प्ररुप,–

1–आधारभूत ब्यौरे :

(क) जीएसटीआईएन :

(ख) विधिक नाम :

(ग) व्यापार का नाम, यदि कोई हो :

(घ) आदेश जिसके संबंध में सुधार का आवेदन फाईल किया गया है:

(1) आदेश संदर्भ संख्यांक :

(2) आदेश तारीख :

2–उक्त आदेश में पुष्ट किए गए मांग के ब्यौरे

(रु0 में रकम)

क्र0 सं0	वित्त वर्ष	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	उपकर सहित कुल कर	ब्याज	शास्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2017–18							
	2018–19							
	2019–20							
	2020–21							
	2021–22							
	2022–23							
	कुल							

3–उपर्युक्त क्रम संख्यांक 2 की सारणी में उल्लिखित रकम में से,– :

(क) उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) (उक्त अधिनियम) की धारा 16 की उपधारा (4) के उल्लंघन के कारण गलत तरीके से प्राप्त निवेश कर प्रत्यय की उक्त आदेश में पुष्ट किए गए मांग के ब्यौरे जो अब धारा 16 की उपधारा (5) के अनुसार पात्र हैः

(रु0 में रकम)

क्र0 सं0	वित्त वर्ष	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	उपकर सहित कुल कर	ब्याज	शास्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2017–18							
	2018–19							
	2019–20							
	2020–21							
	कुल							

और या;

(ख) उक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (4) के उल्लंघन के कारण गलत तरीके से प्राप्त निवेश कर प्रत्यय के उक्त आदेश में पुष्ट किए गए मांग के ब्यौरे, उपर्युक्त (क) में उल्लिखित से भिन्न, जो अब धारा 16 की उपधारा (6) के अनुसार पात्र हैं :

(रु0 में रकम)

क्र0 सं0	वित्त वर्ष	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	उपकर सहित कुल कर	ब्याज	शास्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2017–18							
	2018–19							
	2019–20							
	2020–21							
	2021–22							
	2022–23							
	कुल							

4–**घोषणा** :–

1–मैं वचन देता हूँ/देती हूँ कि, उक्त अधिनियम की धारा 107 या धारा 112 के अधीन कोई अपील उस आदेश के विरुद्ध लंबित नहीं है जिसके विरुद्ध यह सुधार आवेदन फाईल किया गया है।

2–मैं घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मेरे द्वारा प्रदान की गई सूचना सही और सत्य है। मैं समझता हूँ/समझती हूं कि किसी भी असत्य घोषणा या तथ्यों को छिपाने से यह आवेदन शून्य हो जाएगा और बकाया शोध्यों के साथ लागू ब्याज और शास्तियों के लिए वसूली की कार्यवाही की जा सकती है।

5–**सत्यापन** :–

मैं.....(प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम), घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि ऊपर दी गई सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है। मैं समझता हूँ/समझती हूँ कि किसी असत्य घोषणा या तथ्यों को छिपाने से मेरा आवेदन शून्य हो जाएगा।

|

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर
नाम/पदनाम
ईमेल पता
मोबाईल नं0

आज्ञा से,
एम0 देवराज,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 1665 / XI-2–24-9(47)-17-T.C.-272-U.P. Act-1-2017-Order (335)-2024, dated January 8, 2025 :

No. 1665 / XI-2–24-9(47)-17-T.C.-272-U.P. Act-1-2017-Order (335)-2024

Dated Lucknow, January 8, 2025

IN exercise of the powers conferred under section 148 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no. 1 of 2017), hereinafter referred to as the said Act, the Governor, on the recommendations of the Council, hereby notifies the following special procedure for rectification of order, to be followed by the class of registered persons (hereinafter referred to as the said person), against whom any order under section 73 or section 74 or section 107 or section 108 of the said Act has been issued confirming demand for wrong availment of input tax credit, on account of contravention of provisions of sub-section (4) of section 16 of the said Act, but where such input tax credit is now available as per the provisions of sub-section (5) or sub-section (6) of section 16 of the said Act, and where appeal against the said order has not been filed, namely:-

2. The said person shall file, electronically on the common portal, within a period of six months from the date of 8th October, 2024, an application for rectification of an order issued under section 73 or section 74 or section 107 or section 108 of the said Act, as the case may be, confirming demand for wrong availment of input tax credit, on account of contravention of provisions of sub- section (4) of section 16 of the said Act, but where such input tax credit is now available as per the provisions of sub-section (5) or sub-section (6) of section 16 of the said Act, and where appeal against the said order has not been filed.

3. The said person shall, along with the said application, upload the information in the proforma in **Annexure A** of this notification.

4. The proper officer for carrying out rectification of the said order shall be the authority who had issued such order, and the said authority shall take a decision on the said application and issue the rectified order, as far as possible, within a period of three months from the date of the said application.

5. Where any rectification is required to be made in the order referred to in paragraph 1 and, the said authority has issued a rectified order thereof, then the said authority shall upload a summary of the rectified order electronically,–

(i) in FORM GST DRC-08, in cases where rectification of an order issued under Section 73 or Section 74 of the said Act is made; and

(ii) in FORM GST APL-04, in cases where rectification of an order issued under Section 107 or section 108 of the said Act is made.

6. The rectification is required to be made only in respect of demand of such input tax credit which has been alleged to be wrongly availed in contravention of provisions of sub-section (4) of section 16 of the said Act, but where such input tax credit is now available as per the provisions of sub-section (5) or sub-section (6) of the said section 16.

7. Where such rectification adversely affects the said person, the principles of natural justice shall be followed by the authority carrying out such rectification.

Annexure A

Proforma to be uploaded by the registered person along with the application for rectification of order under special procedure for rectification of order notified under section 148 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no. 1 of 2017)

1. Basic Details:

a. GSTIN:

b. Legal Name:

c. Trade Name, if any:

d. Order in respect of which rectification application has been filed:

(1) Order Reference Number:

(2) Order Date:

2. Details of demand confirmed in the said order:

(Amount in Rs.)

Sl. No.	Financial Year	IGST	CGST	SGST	CESS	Total Tax including Cess	Interest	Penalty
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2017-18							
	2018-19							
	2019-20							
	2020-21							
	2021-22							
	2022-23							
	Total							

3. Out of the amount mentioned in the Table in serial number 2 above:

a. the details of the demand confirmed in the said order, of the input tax credit wrongly availed on account of contravention of sub- section (4) of Section16, which is now eligible as per sub-section (5) of Section 16 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no. 1 of 2017) (the said Act):

(Amount in Rs.)

Sl. No.	Financial Year	IGST	CGST	SGST	CESS	Total Tax including Cess	Interest	Penalty
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2017-18							
	2018-19							
	2019-20							
	2020-21							
	Total							

and/or

b. the details of the demand confirmed in the said order of the input tax credit wrongly availed on account of contravention of sub-section (4) of section16, other than that mentioned in (a) above, which is now eligible as per sub-section (6) of section 16 of the said Act:

(Amount in Rs.)

Sl. No.	Financial Year	IGST	CGST	SGST	CESS	Total Tax including Cess	Interest	Penalty
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2017-18							
	2018-19							
	2019-20							
	2020-21							
	2021-22							
	2022-23							
	Total							

4. **Declaration**:–

1. I undertake that, no appeal under section 107 or section 112 of the said Act is pending against the order against which this rectification application is filed.

2. I declare that all information provided by me is accurate and truthful. I understand that any incorrect declaration or suppression of facts will render this application void and may lead to recovery proceedings for the outstanding dues along with applicable interest and penalties.

5. **Verification**:

I.....(name of the authorised signatory), hereby declare that the information provided above is true and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that any incorrect declaration or suppression of facts will render my application void.

Signature of authorised signatory

Name/Designation

Email address

Mobile No.

By order,

M. DEVARAJ,

Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 453 राजपत्र–2025–(1199)–599 प्रतियां (डी0टी0पी0/ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 20 सा0 राज्य कर–2025–(1200)–500+500=1000 प्रतियां (डी0टी0पी0/ऑफसेट)।